भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या– 1184
दिनांक 06.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

वैश्विक उत्तरदायित्वों में भारत की कूटनीति को सुदृढ़ बनाना

†1184. श्री गणेश सिंह

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वैश्विक उत्तरदायित्वों में वृद्धि, विकसित भारत @2047 के लक्ष्यों और प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल कूटनीति जैसे उभरते क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय की वित्तीय, मानव संसाधन और संस्थागत क्षमता को मजबूत करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) क्या मंत्रालय द्वारा प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, जलवायु, आपूर्ति श्रृंखला और भू-अर्थशास्त्र जैसे क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञों को राजनयिक तंत्र में शामिल करने, प्रशिक्षण संवर्धन और मिशनों की कार्यात्मक प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए कोई संरचित कार्य योजना कार्यान्वित की जा रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[श्री कीर्तवर्धन सिंह]

(क और ख) विदेश मंत्रालय अपने प्रशिक्षण प्रभाग, सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान (एसएसआईएफएस) के माध्यम से संरचित और सतत क्षमता निर्माण उपाय करता है ताकि प्रक्रियाओं और वित्तीय विनियमों तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा जैसे उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के संबंध में अधिकारियों के ज्ञान को बढ़ाया जा सके। इंडक्शन और मिड-करियर स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को *कर्मयोगी* और *विकसित भारत@2047* के उद्देश्यों के अनुरूप डोमेन, कार्यात्मक और व्यवहारात्मक दक्षताओं का विकास करने के लिए तैयार किया गया है।

वर्तमान में, विभिन्न मंत्रालयों से प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी विदेश मंत्रालय में विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, जिनके लिए उन्होंने अपने मूल मंत्रालय में अनुभव प्राप्त किया है। इसके अलावा, वर्तमान में मंत्रालय में सलाहकार के रूप में पेशेवरों और विशेषज्ञों को भी नियुक्त किया गया है, जिन्हें आतंकवाद से निपटने, परियोजना प्रबंधन, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय कानून, कोंसली और निरस्त्रीकरण से संबंधित कार्य के साथ-साथ उभरते हुए क्षेत्रों जैसे कई विषयों में विशेषज्ञता हासिल है। मंत्रालय क्षमता संवर्धन और अंतर-संस्थागत समन्वय के साधन के रूप में प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग को उच्च प्राथमिकता देता है। विकसित हो रही विदेश नीति संबंधी अनिवार्यताओं के प्रति संस्थागत जवाबदेही बनाए रखने के लिए, मंत्रालय समय-समय पर संगठनात्मक पुनर्गठन कार्रवाई करता है। इसके अलावा, 2024 में शुरू की गई मंत्रालय की क्षमता निर्माण योजना के माध्यम से, आईगॉट कर्मयोगी पोर्टल पर उपलब्ध बहुविषयक विशेष पाठ्यक्रमों का लाभ उठाकर अधिकारियों / कर्मचारियों की क्षमता निर्माण को प्राथमिकता दी जाती है।

*****